निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 श्रावण 1942 (श0)
(सं0 पटना 468) पटना, शुक्रवार, 7 अगस्त 2020

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना
7 अगस्त 2020

एस० ओ० 147 दिनांक 7 अगस्त 2020— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बिहार माल और सेवा कर (आठवाँ संशोधन) नियमावली, 2020 है।

(2) ये 1 जुलाई 2020 से प्रवृत्त होंगें।

2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसके पश्चात उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 67क के स्थान पर निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**67क. लघु संदेश सेवा सुविधा के द्वारा विवरणी या जावक आपूर्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत करने का प्रबंध -** इस अध्याय में किसी भी बात के होते हुए भी, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के मामले में जिसे धारा 39 के अंतर्गत **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में किसी कर अवधि की 'शून्य' विवरणी भरना अपेक्षित हो या जिसका धारा 37 अंतर्गत के **प्ररूप जीएसटीआर-1** में किसी कर अवधि का जावक आपूर्तियों का ब्यौरा शून्य हो, इलेक्ट्रानिक तरीके से भरे जाने के किसी भी संदर्भ में उक्त विवरणीया जावक आपूर्तियों का ब्यौरा को रजिस्ट्रीकृत मोबाइल का प्रयोग करके लघु संदेश सेवा के माध्यम से भरे जाने की बात भी शामिल होगी और उक्त विवरणी या जावक आपूर्तियों के ब्यौरे का सत्यापन उसके रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर आधारित 'वन टाइम पासवर्ड' की सुविधा के आधार पर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन के लिए, 'शून्य'विवरणी या शून्य जावक आपूर्तियों के ब्यौरे का मतलब, किसी कर अवधि के लिए, धारा 39 के अधीन कोई ऐसी विवरणी है या धारा 37 के अधीन कोई ऐसी जावक आपूर्तियों का ब्यौरा है, जिसमें **प्ररूप जीएसटीआर-3ख या प्ररूप जीएसटीआर-1** की सभी सारणी में शून्य दर्शाया गया हो या उसमें कोई प्रविष्टि ना हो,जैसी भी स्थिति हो ।" ।

[(सं०सं०–बिक्री–कर / जीएसटी / विविध–21 / 2017(खंड–9)–1339)]

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

7 अगस्त 2020

एस० ओ० 147 दिनांक 7 अगस्त 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०–बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017(खंड–9)–1339)]

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 7th August 2020

S.O. 147 dated the 7th August 2020-- In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. (1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Eighth Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force from 1st July,2020.

2. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), for the rule 67A, the following rule shall be substituted, namely:-

"67A. Manner of furnishing of return or details of outward supplies by short messaging service facility.- Notwithstanding anything contained in this Chapter, for a registered person who is required to furnish a Nil return under section 39 in **FORM GSTR-3B** or a Nil details of outward supplies under section 37 in **FORM GSTR-1** for a tax period, any reference to electronic furnishing shall include furnishing of the said return or the details of outward supplies through a short messaging service using the registered mobile number and the said return or the details of outward supplies shall be verified by a registered mobile number based One Time Password facility.

Explanation. - For the purpose of this rule, a Nil return or Nil details of outward supplies shall mean a return under section 39 or details of outward supplies under section 37, for a tax period that has nil or no entry in all the Tables in **FORM GSTR-3B or FORM GSTR-1,** as the case may be.".

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-9)-1339]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 468-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in